शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 41 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 30 – 7 अक्तूबर 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या नड्डा का ब्यान कंगना के आरोपों का प्रमाण है?

- जब सरकार 2024 – 25 में प्रति व्यक्ति खर्च ही कम कर रही है तो फिर वित्तीय संकट क्यों?
- क्या सरकार को बजट में दिखाया केन्द्रिय हिस्सा नहीं मिल रहा है?

शिमला/शैल। सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता संभाली थी तब प्रदेश की जनता को सरकार की वित्तीय स्थिति पर चेतावनी देते हुए यहां के हालात श्रीलंका जैसे होने की बात की थी। इस चेतावनी के बाद यह सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लायी और उसमें पूर्व की जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। श्रीलंका की स्थिति कर्ज लेकर घी पीने की नीति पर चलने से हुई यह एक सार्वजनिक सच है। आज हिमाचल भी प्रतिमाह कर्ज लेकर काम चला रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिन्दल के अनुसार सुक्खू सरकार अब तक 28000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक उसको केंद्र से वांच्छित सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन भाजपा नेता केन्द्र द्वारा दी गयी सहायता के आंकड़े सार्वजनिक रखते हुए राज्य सरकार के आरोपों को नकार चुकी है। मण्डी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने केन्द्र द्वारा प्रदेश को दी गयी आपदा राहत में राज्य सरकार द्वारा घपला करने का आरोप लगाने के बाद राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे कर्ज के निवेश पर सोनिया गांधी तक पर आरोप लगा दिये हैं। प्रदेश कांग्रेस और राज्य सरकार कंगना के आरोपों का जवाब नहीं दे पाये हैं। कंगना ने सोनिया गांधी पर दिये ब्यान को वापिस नहीं लिया है और प्रदेश कांग्रेस या सरकार कंगना के खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर पायी है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने जिस तर्ज पर राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाये हैं उससे एक तरह से कंगना के ही आरोपों की पुष्टि हो जाती है। नड्डा के ब्यान पर पूरी सरकार में प्रतिक्रिया हुई है लेकिन नड्डा द्वारा रखे गये सहायता आंकड़ों का कोई खण्डन सरकार के मंत्री नहीं कर पाये हैं। नड्डा का यह कहना कि केन्द्र के सहयोग के बिना राज्य सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती अपने में बड़ा आक्षेप और संकेत है। बल्कि एक तरह से इसे चुनावी भाषण भी कहा जा सकता है।

राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन योजना बहाल करने को चुनावों में दी गारंटीयां पूरी करने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दे रही है। लेकिन ओ.पी.एस का बोझ तो तब पड़ेगा जब 2005 में लगे कर्मचारी रिटायर होना शुरू होंगे। अभी तो इस सरकार पर ओ.पी.एस को बोझ पड़ा ही नहीं है। महिलाओं को 1500 प्रतिमाह देने में पात्रता पर जितने राईडर लगा दिये गये हैं उससे इसकी संख्या आधे से भी कम रह गयी है बल्कि कुछ से रिकवरी करने तक की बातें हो रही हैं। सरकार गारंटीयां पूरी करने को लेकर जितने दावे कर रही हैं उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन वित्तीय स्थिति सुधारने को लेकर जिस तरह से आम आदमी पर सामान्य सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स/शुल्क बढ़ाये जा रहे हैं उसका अब आम आदमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सरकार ने संसाधन बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिये एक मंत्री स्तर की कमेटी भी बना रखी है। लेकिन इस कमेटी की बैठकें कब हुई और उनमें क्या सुझाव आये यह सार्वजनिक नहीं हो पाया है। बल्कि यह आरोप लगना शुरू हो गया है कि इस सरकार को कुछ अधिकारी ही चला रहे हैं जिनकी निष्ठायें पूर्व सरकार के साथ रही हैं। यह आरोप टॉयलैट टैक्स की अधिसूचना जारी होने और उसके वापस लिये जाने से पुख्ता हो जाता है।

इस परिदृश्य में यह सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि जब बजट पारित किया गया तो उसमें इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि आने वाले दिनों में जनता को यह सब कुछ झेलना पड़ेगा। बजट में पूरी स्पष्टता से बताया गया है कि कहां से कितना पैसा आयेगा और कहां पर कितना खर्च होगा। इसके लिये सरकार के कुछ दस्तावेज पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं ताकि सही स्थिति का आम पाठक स्वयं आकलन कर पायें। क्योंकि हर खर्च का ब्योरा इसमें दर्ज रहता है। इसलिये जब बजट में इस तरह का संकेत न हो कि वेतन और पैन्शन का समय पर भुगतान नहीं हो पायेगा और आगे चलकर ऐसा हो जाये तो इससे बजट की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा भी सामने नहीं आया है कि बजट में केन्द्र से केन्द्रीय शुल्क और सहायता अनुदान के रूप में जो आना दिखाया गया है वह न आया हो। फिर सरकार ने 2023 – 24 में प्रति व्यक्ति 70229 रूपये खर्च किये हैं लेकिन 2024 – 25 में यह सिर्फ 70189 रुपये रह गया है। जबकि 2023 – 24 में प्रति व्यक्ति सरकार को 53892 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जो 2024 – 25 में बढ़कर 55891 पर होने का अनुमान है। 2024 – 25 में सरकार प्रति व्यक्ति कमा ज्यादा रही है और खर्च कम कर रही है। इन बजट दस्तावेजों को सामने रखकर यह सवाल बड़ा हो जाता है कि जब बजट के आकलनों में कहीं कोई वित्तीय संकट का संकेत नहीं है तो फिर वेतन भत्ते विलंबित करने की स्थिति क्यों आयी? क्या सरकार ऐसा कोई खर्च कर रही है जो राज्य की समेकित निधि का हिस्सा नहीं है?

8. प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्तियां और राजस्व एवं पूंजी व्यय
8. Per Capita Revenue Receipts and Revenue & Capital Expenditure

(₹)

Year(s)	अनुमानित जनसंख्या (लाख) Projected population (Lakh)	राजस्व प्राप्तियां (निवल) Revenue Receipts (Net)	राजस्व व्यय (निवल) Revenue Expenditure (Net)	पूंजी व्यय (निवल) Capital Expenditure (Net)	कुल व्यय Total Expenditure (Net Rev. & Capital)
2022–23(वा0) 2022-23(A)	74.68	51004	59487	8073	67560
2023–2024 (अ0) 2023-2024 (B)	75.05	50633	56901	6932	63833
2023–2024 (स0) 2023-2024 (R)	75.05	53892	61194	9035	70229
2024–25 (अ0) 2024-25 (B)	75.42	55891	61876	8313	70189

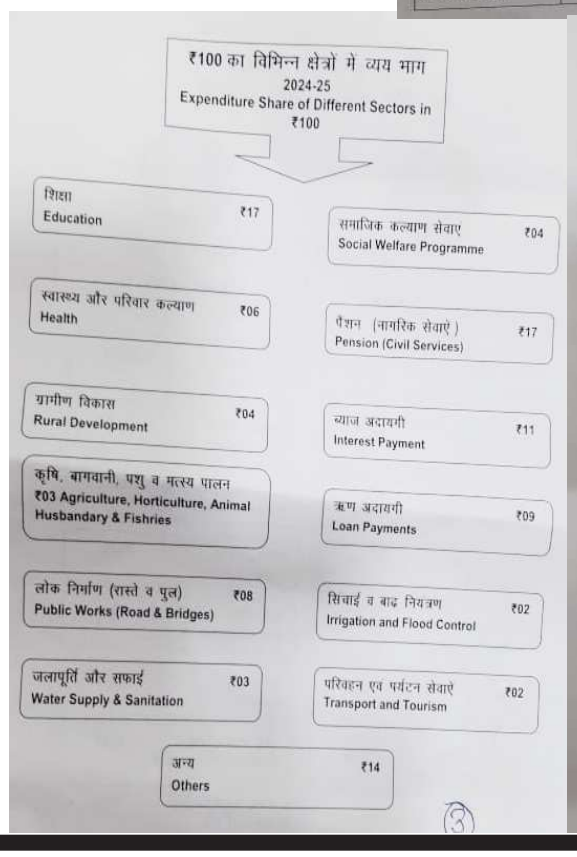

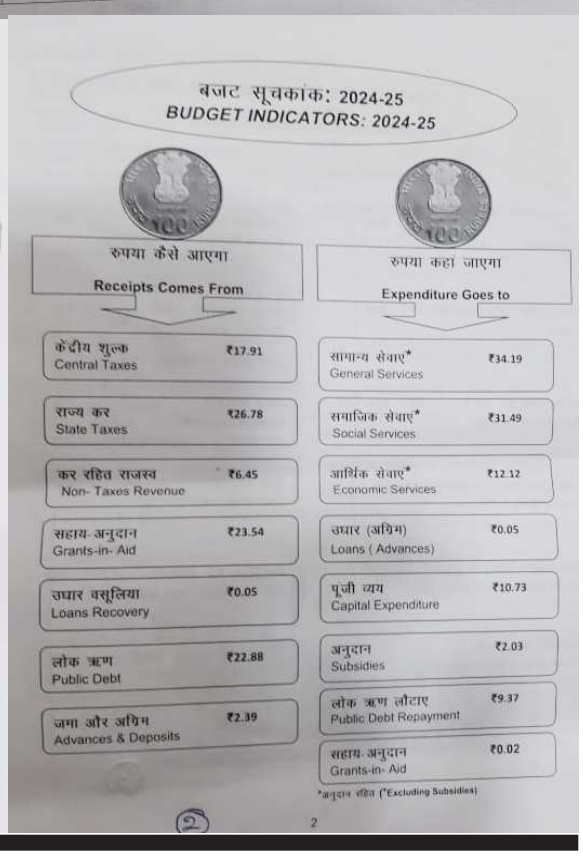

इस वर्ष अब तक 1,545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का रिकॉर्ड उत्पादन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) द्वारा 4 अक्तूबर, 2024 तक तीन संयंत्रों के माध्यम से रिकॉर्ड 1,545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का प्रसंस्करण किया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के पराला संयंत्र से 814 मीट्रिक टन, सोलन जिला के परवाणु संयंत्र से 653 मीट्रिक टन और मंडी जिला के जरोल संयंत्र से 78 मीट्रिक टन सेब जूस कंसट्रेट का प्रसंस्करण किया गया है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएमसी खरीदे गए लगभग सभी सेबों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर रहा है और बहुत कम संख्या में फलों को नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीद मानकों की अनुपालना करते हुए इस सीजन में खरीदे गए 92 प्रतिशत सेबों का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष एमआईएस के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल 29,200 मीट्रिक टन सेब खरीदे गए हैं। इसमें से एचपीएमसी के 206 खरीद केंद्रों के माध्यम से 19,437 मीट्रिक टन, हिमफेड के 109 केंद्रों के माध्यम से 9,764 मीट्रिक टन सेब खरीदे गए। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन जारी है और मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब खरीदे जा रहे हैं तथा खरीद बढ़ने के साथ प्रसंस्करण में भी वृद्धि होने की संभावना है। एमआईएस के तहत सेब खरीद की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में, एचपीएमसी ने क्रेटों का उपयोग करके किसानों से 1,219 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। उन्होंने कहा कि पहली बार चंबा जिले के दूरदराज के क्षेत्र पांगी में भी सेब की खरीद शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने एमआईएस में सुधार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है और इसके माध्यम से खरीद की प्रक्रिया अब ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसमें खरीद, परिवहन, प्रसंस्करण संयंत्रों में फलों की नीलामी, सीए स्टोर की बुकिंग और सीधे बैंक हस्तांतरण लिंकेज के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इससे सेब उत्पादकों को पारदर्शी तरीके से सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सेब की बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को अनिवार्य बनाकर सेब उत्पादकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सीए स्टोर के लिए किराया शुल्क भी 1.90 रुपये से घटाकर 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। बागवानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एचपीएमसी ने सेब उत्पादकों को प्रदान किए जाने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों के लाभ मार्जिन को 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिला के टापरी में जियोथर्मल कोल्ड स्टोर बनाने की योजना बना रही है। इस कोल्ड स्टोर की अगले वर्ष आरम्भ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपनी प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की है, पिछले वर्ष की 21,000 मीट्रिक टन की तुलना में क्रशिंग क्षमता में इस वर्ष 39,000 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रेडिंग और पैकेजिंग क्षमता 15,900 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33,900 मीट्रिक टन हो गई है। पराला और जरोल की वाइन इकाइयों की संयुक्त वार्षिक क्षमता 1.50 लाख लीटर है। पराला में एक नई सिरका इकाई की वार्षिक क्षमता 50,000 लीटर है, जबकि पराला में एक नई पेक्टिन इकाई प्रति दिन 1.2 मीट्रिक टन उत्पादन कर सकती है और रेडी टू सर्व जूस इकाई की दैनिक क्षमता 20,000 लीटर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी देश में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय वितरकों को शामिल कर रही हैं। एचपीएमसी ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और देश भर के अन्य प्रमुख स्थानों पर नए खुदरा आउटलेट खोलकर बाजार में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

राज्यपाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शिमला स्थित रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि गांधी जी ने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया और प्रधानमंत्री उनके संदेश को अग्रेषित कर रहे हैं और दुनिया में शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी की विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने गांधी जी की सत्य और अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। राज्यपाल ने भारतीय परंपराओं से गहरे जुड़ाव, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए महात्मा गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के सिद्धांत से आज भी हम सभी को प्रेरणा मिलती है।

राज्यपाल ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

इसके पश्चात, राज्यपाल ने पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीटीओ चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

शुक्ल ने कहा कि शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। शास्त्री जी की सत्यनिष्ठा, विनम्रता और सादगी सभी देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति के गीत और भजन भी गाए।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, विधायक कैप्टन, रणजीत सिंह राणा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेन्द्र कुमार अत्री, पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने ऐतिहासिक रिज मैदान से सीटीओ चौक तक पैदल यात्रा की। इसके बाद, उन्होंने ऐतिहासिक इंडियन कॉफी हाउस का भी दौरा किया और गणमान्य व्यक्तियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कॉफी का आनंद लिया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य ने अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की

शिमला/शैल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैय्यद शहेजादी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 – सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर सैय्यद शहेजादी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम' का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अवसर

बढ़ाए जाएं। उनके समावेशी विकास के लिए योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों में आपसी सद्भाव से सदैव ही विकास को भी बल मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न दिशा – निर्देश भी दिए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि राज्य में उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने छठी से आठवीं कक्षा तक चिन्हित स्कूलों में उर्दू भाषा को एच्छिक विषय के रूप में आरम्भ करने का निर्णय लिया है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को प्री – मैट्रिक छात्रवृति योजना, मैरिट – कम – मीन्स छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

यह अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के 28 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 3,498 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 100.58 करोड़ रुपये के ऋण और 37 लाभार्थियों को 1.63 करोड़ रुपये शैक्षिक ऋण के रूप में प्रदान किए गए हैं।

बैठक में अल्संख्यक समुदाय के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, कौशल विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंघमार, सचिव ग्रामीण विकास राजेश शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा, प्रबन्ध निदेशक अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम प्रदीप ठाकुर, अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग मोहन दत्त शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के सफल आयोजन के लिए एक्सेसर्ज मीट का आयोजन

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में 21

देश भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 18 अक्तूबर, 2024 को कुल्लू में विभिन्न देशों के राजदूत, एक्सीलेंसी और मिशन प्रमुखों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ – साथ सांस्कृतिक आदान – प्रदान को प्रोत्साहित करने मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव में इन देशों के कारीगर स्टॉल लगाएंगे और सांस्कृतिक दल लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने विभिन्न दूतावासों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों को आयोजन की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने दशहरा में भाग लेने के लिए दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और यात्रा संबंधी सहायता के बारे में भी बताया।

प्रधान आवासीय आयुक्त एस के सिंगला ने आयोजन के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक सबंध परिषद के डीडीजी अमित माथुर ने भी बहुमूल्य जानकारी दी। दूतावासों के प्रतिनिधियों ने पिछले वर्षो में हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

बैठक में वन संरक्षक नीरज चढ्ढा, राजनयिक और विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में तृतीयक कैंसर अस्पताल भवन का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी), में नवनिर्मित पांच मंजिला तृतीयक (टर्शरी) कैंसर अस्पताल भवन का शुभारंभ किया। 13.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस भवन का उद्देश्य उपचार क्षमताओं को स्तरोन्नत कर कैंसर रोगियों को लाभान्वित करना है, ताकि उन्हें कैंसर के उत्कृष्ट उपचार की सुविधा राज्य में ही सुनिश्चित हो सके। इस भवन के निर्मित होने से अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए बिस्तरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 65 की गई है जिससे कैंसर रोगियों को बेहतर चिकित्सा देखभाल मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कैंसर पीड़ितों को नवीनतम चिकित्सा तकनीकयुक्त विश्वस्तरीय उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल जल्द ही इंटेंसिटी मॉडयूलेटिड रेडिएशन थैरेपी (आईएमआरटी), इमेज गाइडिड रेडिएशन थैरेपी (आईजीआरटी) और वॉल्युमेट्रिक म डयूलेटिड आर्क थैरेपी (वी मैट) सहित उन्नत विकरण चिकित्सा उपकरणों से लैस होगा। 7.77 करोड़ रुपये की लागत की एक सीटी सिम्यूलेटर मशीन पहले ही स्थापित की जा चुकी है, जिसको क्रियाशील बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 24 करोड़ रुपये की लागत की एक एलआईएनएसी मशीन स्थापित की जा रही है, जिससे 25 जनवरी 2025 तक क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कैंसर उपचार सुविधाओं के विकल्प में वृद्धि होगी और मरीजों को सुविधा होगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीन की खरीद के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यदि उचित समय पर सही ईलाज मिले तो कैंसर का उपचार संभव है। कैंसर की उचित देखभाल के लिए प्रदेश सरकार जिला हमीरपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है। इसके अलावा नवीनतम उपचार तकनीकों पर मार्गदर्शन और देखभाल में सुधार के लिए सरकार द्वारा उत्कृष्ट कैंसर विशेषज्ञ की एक राज्यस्तरीय समिति भी बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार व्यवस्था परिर्वतन के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत कर रही है। उन्होंने प्रदेश में कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कैंसर के मामले सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कैंसर रोगियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरन्तर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य अधोसंरचना की अनदेखी की जिसके कारण प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में आवश्यक सुधार कर रही है।

चिकित्सक-रोगी और नर्स-रोगी अनुपात में सुधार के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार की भी योजना है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनीराम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक दवाओं और सीटी स्कैन मशीनों के लिए निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुणवत्तापूर्ण दवाओं, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों की पारदर्शी खरीद के

माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक दवाओं और शल्य चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त मांग को पूरा करने के लिए 888 आवश्यक दवाओं के साथ-साथ 273 चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और शल्य चिकित्सा वस्तुओं के लिए एक सप्ताह के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। ये निविदाएं राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा आपूर्ति की खरीद सुनिश्चित करेंगी।

डॉ. शांडिल ने कहा कि क्षेत्रीय, नागरिक और क्षेत्रीय अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए निविदाएं जारी करने को मंजूरी दे दी गई है और ये मशीनें सार्वजनिक-निजी भागीदारी पीपीपी म डल के तहत खरीदी जाएंगी। इस खरीद के साथ ही राज्य के 34 स्वास्थ्य संस्थान जल्द ही उन्नत डायग्नॉस्टिक मशीनों से लैस हो जाएंगे।

इसके अतिरिकत, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एचआईवी जांच और परामर्श सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र आईसीटीसी वैन की खरीद की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। ये मोबाइल इकाइयां आम जनता, उच्च जोखिम वाले समूहों एचआरजी, औद्योगिक क्षेत्रों और कारागारों को जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगी तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लागत-कुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक लाख रुपये तक की कीमत वाली मशीनरी और उपकरणों की एकमुश्त खरीद का विकल्प चुनने के बजाय अनुबंध दर के आधार पर ई-टेंडर जारी करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 11,000 रुपये से कम कीमत वाले उपकरणों के लिए यह बदलाव खरीद प्रक्रिया को बढ़ाएगा, जिससे आपूर्तिकर्ताओं का निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धा चयन सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शी और कुशल खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आम जनता को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. पी.सी. दड़ोच, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध निदेशक प्रियंका वर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 'शौचालय कर' का कोई प्रस्ताव नहीं:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में 'शौचालय कर' लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन ब्यानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हों।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी। लेकिन भाजपा के इन लोक-लुभावन वादों को अधिमान न देते हुए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया जिसके फलस्वरूप एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ पांच सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके दृष्टिगत पानी पर सब्सिडी का युक्तिकरण करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल का भुगतान तय किया है। वहीं, आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है।

सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्र से 293.36 करोड़ रुपये स्वीकृत:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष सीआरआईएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को 293.36 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से पांच सड़क और पुल कार्य शामिल हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने निरंतर इन परियोजनाओं की वकालत की और राज्य की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से प्रदेश का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन और विभाग के प्रयासों से शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र से यह धनराशि स्वीकृत हुई है।

उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों में शिमला में 52 किलोमीटर टिक्कर-जरोल-गहन-ननखड़ी-खमाडी सड़क के उन्नयन के लिए 54.87 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 20 किलोमीटर सुजानपुर टीहरा-संधोल सड़क के लिए 41.10 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 37 किलोमीटर नवगांव-बेरी सड़क के लिए 79.25 करोड़ रुपये, कांगड़ा में गज खड पर 828 मीटर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए 86.34 करोड़ रुपये तथा मंडी में 9.6 किलोमीटर बखरोट-करसोग- सनारली-सैंज सड़क के उन्नयन के लिए 31.80 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।

लोक निर्माण मंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

बागवानी विकास परियोजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएच डीपी) के अंतर्गत शिमला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान करना था।

निदेशक बागवानी विनय सिंह ने हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना वर्ष 2016 में 1134 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बागवानी में आधुनिक तकनीकों और सिंचाई योजनाओं के माध्यम से बागवानों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से अब तक 20 हजार से अधिक बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश बागवानी विश्वविद्यालय में 55 करोड़ रुपये की सहायता से आधुनिक मृदा परीक्षण केंद्र, उच्च घनत्व सेब की खेती और वायरल परीक्षण उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे बागवानी को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा।

एग्रीबिजनेस इन्कयूबेशन सर्विसेज के तहत 84 उद्यमियों को 17 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जिससे बागवानी से जुड़े कई सफल उद्यम स्थापित हुए हैं। इन उद्यमियों ने फल प्रसंस्करण इकाइयां, जैविक खाद उत्पादन, और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल की है।

विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना में लाभान्वित उद्यमियों ने कार्यशाला में अपनी उपलब्धियों को प्रेरणादायक कहानियों के रूप मे प्रदर्शित किया। कार्यशाला का शुभारंभ परियोजना निदेशक सुदेश मोक्टा द्वारा किया गया। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों, उद्यमियों और विशेषज्ञों का स्वागत किया। कार्यशाला में विक्रम नेगी संयुक्त सचिव बागवानी, सनी शर्मा महाप्रबंधक एचपीएमसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

व्यवस्था परिवर्तन से कहां पहुंचा प्रदेश

हिमाचल विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां दी थी और इन पर भरोसा करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गवाही दी थी। इस गवाही पर भरोसा करके प्रदेश की जनता ने सत्ता की बागडोर कांग्रेस को सौंप दी। लेकिन सत्ता संभालते ही यह घोषणा कर दी गयी की सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिये काम करेगी। परन्तु इस व्यवस्था परिवर्तन को कभी परिभाषित नहीं किया गया। आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेताओं तक कोई भी इस व्यवस्था परिवर्तन की व्याख्या कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिये व्यवस्था परिवर्तन के इस सूत्र को समझने के लिये सरकार द्वारा अब तक लिये गये महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले प्रदेश की जनता को यह बताया गया कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं और पिछली सरकार द्वारा अन्तिम छः माह में लिये गये फैसलों को पलटते हुये सैकड़ो नये खोले गये संस्थान बन्द कर दिये गये। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आवासों में रिपेयर का दौर शुरू हुआ और मुख्यमंत्री को लम्बे समय तक पीटरहॉप में रहना पड़ा। हिमाचल बेरोजगारी में देश के पहले छः राज्यों में शामिल है इसलिये कांग्रेस ने प्रतिवर्ष एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी थी। लेकिन इस गारंटी पर काम करने से पहले ही उस संस्थान को भ्रष्टाचार के आरोपों की आड़ में भंग कर दिया जिसके जिम्मे रोजगार देने की प्रक्रिया संबंधी जिम्मेदारी थी। इसीलिये रोजगार उपलब्ध करवाने की जानकारी मांगने वाले हर सवाल का विधानसभा में एक ही जवाब आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

वित्तीय संकट के मामले में बीस माह के कार्यकाल में 27,000 करोड़ का कर्ज लेने का आंकड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केन्द्र के सहयोग के बिना यह सरकार एक दिन नहीं चल सकती। केन्द्र द्वारा दी गयी आपदा राहत में घपले किये जाने का आरोप कंगना रनौत से लेकर नड्डा तक लगा चुके हैं। अब तो कांग्रेस के नेता भी इस पर मुखर होने लग गये हैं। वित्तीय संकट के नाम पर इतना वित्तीय बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया है कि आम आदमी इस डर में जी रहा है कि सरकार कब कौन सा टैक्स किस कारण से लगा दे इसका अन्दाजा लगाना ही संभव हो गया है। लेकिन जनता पर इतना वित्तीय बोझ डालने और हर माह एक हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लेने के बाद भी यह सरकार समय पर वेतन और पैन्शन का भुगतान क्यों नहीं कर पा रही है। आज हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के हाथ में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हथियार आ गया है। इस हथियार से कांग्रेस का नुकसान होना तय है। परफॉरमैन्स के लिहाज से हिमाचल में कांग्रेस बीस वर्ष तक पिछड़ गयी है।

ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल के हालात का संज्ञान लेकर कोई सुधारात्मक कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। आज हिमाचल से लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सांसद न होना एक बड़ा कारण बन गया है। क्योंकि हर पार्टी का हाईकमान किसी भी राज्य की जानकारी के लिये उस प्रदेश से आये सांसदों और मंत्रियों यदि केंद्र में उस पार्टी की सरकार हो तो उनकी राय पर बहुत निर्भर रहता है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद संसद में प्रदेश से कोई सांसद नहीं है। सांसदों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की राय को अधिमान दिया जाता है। यहां पर पार्टी अध्यक्ष को पहले ही विवादित बना दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष के बाद प्रैस की सूचनाओं पर निर्भरता की बात आती है। इस दिशा में इस सरकार ने प्रैस का गला ऐसे घोंट कर रखा है कि कहीं कोई आवाज बची ही नहीं है। इस सरकार ने 1971 से लागू हुये लैण्ड सीलिंग एक्ट को 2023 में संशोधित करके उन संशोधनों को 1971 से ही लागू करने की सिफारिश की है। आज पचास वर्ष बाद ऐसे संशोधन की आवश्यकता क्यों आ खड़ी हुई? क्या आज भी प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके पास लैण्ड सीलिंग सीमा से अधिक जमीन है? इस मुद्दे पर न तो विपक्षी दल भाजपा ने कोई सवाल उठाया है और न ही मीडिया ने। जहां इस तरह की स्थितियां हो वहां पर अन्दाजा लगाया जा सकता है की सरकार के व्यवस्था परिवर्तन सूत्र ने क्या कुछ बदल दिया होगा। ऐसे हालात का प्रदेश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सत्तारूढ़ दल उससे कितना मजबूत होगा यह सामान्य समझ का विषय है।

लव जिहाद' को लेकर बहुसंख्यकों में उत्पन्न डर का समाधान ढूंढना होगा

गौतम चौधरी

विगत दिनों उत्तर प्रदेश स्थित बरेली की एक अदालत ने 'लव जिहाद' को सुनियोजित षडयंत्र और एक खास वर्ग विशेष की भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का हथियार बताया। दरअसल, अदालत ने 'लव जिहाद' के आरोप में एक मुस्लिम युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। यह सजा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना माननीय न्यायालय द्वारा की गयी लिखित टिप्पणी है। सजा सुनाते वक्त न्यायालय ने जो कहा, वह इस देश के ही नहीं अपितु दुनिया के हर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले राष्ट्र को समझना चाहिए। माननीय न्यायाधीश ने जो कहा उसका देशव्यापी महत्व है।

इस केस में आरोपी मोहम्मद अलीम ने पीड़िता को अपना नाम आनंद बताया और उससे हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी। फिर पीड़िता का यौन शोषण, फोटो व वीडियो बना कर ब्लैकमेल जैसे कई अपराध मोहम्मद अलीम ने किये। माननीय न्यायालय ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं माना, बल्कि इसके पीछे छिपी बड़ी साजिश और योजनाबद्ध तरीके की ओर इशारा किया। न्यायालय ने लव जिहाद को 'डेमोग्राफिक वार' का हिस्सा बताया, जिसके तहत एक धर्म विशेष के अराजक तत्व हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि 'लव जिहाद' का मुख्य उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना है। उन्होंने इसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के मजहबीकरण के पीछे भारी विदेशी फंडिंग हो सकती है।

कोर्ट ने जबरन मजहबीकरण की निंदा करते हुए सख्त कारवाई की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को झूठ, छल, लालच या बल प्रयोग से धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो यह देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन मामलों पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो देश को भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील हैं।

यानी न्यायालय भी यह स्वीकार कर रहा है कि देश में योजनाबद्ध तरीके से गैर मुसलमानों को लवजिहाद के चंगुल में फंसाया जा रहा है, जोकि इस देश के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। यहीं से साफ समझ आ जाती है कि माँ दुर्गा का मुस्लिम प्रतिरूप बनाने और गरबा में शामिल होने की मुसलानी जिद आखिर क्या है। अब सोचना गैर मुस्लिम समाज को ही होगा कि आखिर कैसे अपने समाज की वे रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक आंधी हर तरफ सिर्फ मुसलमानों को देखना चाहती है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखती है।

हालांकि 'लव जिहाद' जैसे शब्द इस्लाम के लिए भी नापाक और गैर-वाजिब हैं। इस्लामिक विद्वानों का मत साफ है कि फरेब और धोखे से किया गया कार्य इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लामिक किताबों में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। बरेलवी फिरके के आलिम तुफैल खान बताते हैं कि इस्लाम पवित्र धर्म है। इसके मानने वाले खुदा की इबादत के अलावे और कुछ भी नहीं करते। वे इतने नेक होते हैं कि उनके शरण में आये लोगों की वे रक्षा करते हैं। एक और इस्लामिक विद्वान ने बताया कि 'लव जिहाद' संघ परिवार का बनाया हुआ शब्द है। इसका कोई वजूद नहीं है। गैर-इस्लाम लड़कियों से शादी करना तभी जायज माना जाता है जब वह इस्लाम कबूल कर ले। धोखे में किये गये कार्य की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम लड़कियां भी हिन्दू लड़कों से शादी कर रही है। इसे तो हम लोगों को कभी धर्मयुद्ध नहीं बताया। बड़ी संख्या में अभिजात्य मुस्लिम महिलाएं हिन्दू परिवारों में हैं। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक अंतरसंबंध है। हालांकि हमारे लिए यह भी जायज नहीं है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बच्चे आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं। एक साथ उठ-बैठ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से संबंध बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं आरएसएस के कई नेताओं को जानता हूं, जिन्होंने अपनी बेटे-बेटियां मुसलमानों से ब्याही हुई है। मैं कई मुस्लिम धार्मिक नेताओं को जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी हिन्दू लड़कों से की है। यह मामला ही राजनीतिक है।

हालांकि इस मामले में कई बातें हो रही है। जहां एक ओर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेता 'लव जेहाद' को लेकर माहौल बनाने में लगे हैं वहीं दूसरी ओर अन्य दलों के नेता इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस मामले पर पहले जैसी स्थिति नहीं रही। मामले को लेकर बहुसंख्यक हिन्दुओं में थोडा डर तो बढ़ा है। इसे संघ परिवार अपनी सफलता के रूप में देख रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत पड़ोस में कई ऐसे देश हैं जो कट्टर मुस्लिम होने का दावा करते हैं। वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को लगभग दूसरे दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। भारत में भी वहावी और मुस्लिम ब्रदरहुड वर्जन वाले इस्लामिक सोच का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका असर साफ दिख रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा हो सकता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में मध्यममार्गी इस्लामिक चिंतन वाली सरकार को चरमपंथियों ने उखाड़ फेंका। अब वहां दुर्गा पूजा बनाने पर प्रतिबंध की बात हो रही है। इसके कारण भारत के हिन्दू बेहद डरे हुए हैं। लव जिहाद वाला प्रचार भारत के बहुसंख्यक हिन्दुओं को प्रभावित करने लगा है। इसे भारतीय मुसलमानों को गंभीरता से लेना चाहिए और यदि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है तो अपने तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। तभी भारत में बढ़िया वातावरण बन पाएगा।

आपदा न्यूनीकरण क्षेत्र में मीडिया व जनसंचार को निभानी होगी अहम भूमिका

–राजन कुमार शर्मा–
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ
डी.सी कार्यालय, नाहन जिला सिरमौर
हिमाचल प्रदेश

शिमला। प्राचीन काल से ही संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हो चुकी थी, इसकी सर्वप्रथम शुरुआत करने का श्रेय महर्षि नारद जी को जाता है, जो कि इस क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व कौशल ज्ञान से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टीक माध्यम से पहुंचने के लिए जाने जाते रहे हैं। मीडिया जनता और आपातकालीन संगठनों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है और आपदाओं से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित करके, खतरों की चेतावनी देकर, प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करके और उसे प्रसारित करके, सरकारी अधिकारियों, राहत संगठनों और जनता को विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में सचेत करके और निरंतर सुधार के लिए आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में चर्चाओं को सुविधाजनक बनाकर आपदाओं के प्रबंधन में सहायता करता है। मीडिया को इन भूमिकाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए, मीडिया और आपदा प्रबंधन संगठनों के बीच सीधे और प्रभावी कार्य संबंध स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। अनुभव से पता चलता है कि आपदा आने से पहले मीडिया के साथ नियमित बातचीत, सूचना के प्रभावी प्रवाह में सहायता करती है और आपदा के बाद प्रभावी कार्य संबंधों के लिए आधार तैयार करती है।आपदा प्रबंधन में – सही समय पर सही जानकारी की आवश्यकता सदियों से नहीं बदली है। लोगों को आपदा से पहले चेतावनी की आवश्यकता होती है और फिर, उसके बाद, हताहतों, क्षति, आवश्यक आपूर्ति और कौशल, इन संसाधनों को लाने के सर्वोत्तम तरीके, उपलब्ध और प्रदान की जा रही सहायता आदि के बारे में डेटा की आवश्यकता होती है।ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ – सार्वजनिक शिक्षा और प्रारंभिक चेतावनियों के तेज, व्यापक प्रसार ने हजारों लोगों की जान बचाई। उदाहरण के लिए, नवंबर 1970 में, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक उच्च ज्वार के साथ मिलकर दक्षिण–पूर्वी बांग्लादेश में आया, जिससे 300,000 से अधिक लोग मारे गए और 1.3 मिलियन बेघर हो गए। मई 1985 में, एक समान चक्रवात और तूफान की लहर ने उसी क्षेत्र को प्रभावित किया। इस बार – आपदा चेतावनियों का स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रचार–प्रसार हुआ और लोग उनका सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे। हालांकि, जीवन की हानि अभी भी अधिक थी, लेकिन 1970 की तुलना में 10,000 या लगभग 3 प्रतिशत थी। जब मई 1994 में बांग्लादेश के उसी क्षेत्र में विनाशकारी चक्रवात आया, तो 1,000 से भी कम लोग मारे गए। भारत के आंध्र प्रदेश में 1977 के चक्रवात ने 10,000 लोगों की जान ले ली, जबकि 13 साल बाद उसी क्षेत्र में आए एक ऐसे ही तूफान ने केवल 910 लोगों की जान ली। नाटकीय अंतर – इस तथ्य के कारण था कि निचले इलाकों में लोगों को सचेत करने के लिए रेडियो स्टेशनों से जुड़ी एक नई पूर्व–चेतावनी प्रणाली लागू की गई थी।मीडिया के दो मुख्य प्रकार हैं – 1. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 2. प्रिंट मीडिया। रेडियो सैटेलाइट और वायरलेस दोनों और टेलीविजन केबल, डीटीएच आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, जर्नल प्रिंट मीडिया का हिस्सा हैं। ज्ञान जीवन रक्षक हो सकता है, खास तौर पर आपातकालीन स्थिति में, और लोगों को जो कुछ भी पता है, वह सब मास मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। दुनिया में सबसे उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणाली के साथ, जापान वैश्विक मानक स्थापित करने वाला देश है। लेकिन मार्च 2011 में आई सुनामी में मरने वालों की संख्या 20,000 के करीब होने के कारण, यह जोखिम की तैयारी को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार–विमर्श में भी सबसे आगे है।आपदाओं के सभी चरणों में मीडिया की भूमिका होती है। वास्तविक खतरे की घटनाओं के दौरान मीडिया सबसे अधिक प्रभावित होने वाले कमजोर समुदायों तक चेतावनियों और सूचनाओं के तेजी से प्रसार में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया भागीदार होता है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र राज्य ईओसी नेटवर्क और निर्णय समर्थन प्रणाली डी.एस.एस की स्थापना के साथ यह भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।

आपदा आने के बाद, समाचार मीडिया प्रभावी संचार चौनल प्रदान कर सकता है और प्रभावित क्षेत्रों पर किसी घटना के प्रभाव की तस्वीर तेजी से प्रदान करने में सहायता कर सकता है, जिससे अधिकारियों को बचे हुए लोगों तक सहायता और बचाव प्रयासों को अधिक कुशलता से निर्देशित करने में मदद मिलती है।

आपदा की तैयारी में मीडिया की भूमिका में शामिल हैं – जनता की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय जानकारी का प्रसारण, जनता से/तक जानकारी का संग्रह और वितरण, लेकिन सूचना को विश्वसनीय और भरोसेमंद होने के लिए पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य सूचना स्रोत के समान सत्यापन की आवश्यकता होती है। प्रसारण मीडिया आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने, खतरों की चेतावनी देने, प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने, सरकारी अधिकारियों, राहत संगठनों और जनता को विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में सचेत करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है(और आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा को सुविधाजनक बनाना।आपदा न्यूनीकरण में मीडिया एक अनूठी भूमिका निभाता है। हालांकि मीडिया और आपदा न्यूनीकरण संगठनों के उद्देश्य समान नहीं हैं, लेकिन दोनों की स्वतंत्रता और अखंडता से समझौता किए बिना, जनता तक ऐसी जानकारी पहुँचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे कई लोगों को अपनी जान बचाने में मदद मिलेगी। अत: अंत में यह कहना उचित होगा कि मीडिया और आपदा विशेषज्ञों के लिए आपसी हितों का समर्थन करने और, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के जोखिमों को कम करके विश्व समुदाय की सेवा करने के लिए एक साथ काम करने का बहुत बड़ा अवसर मौजूद है।

मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं

बलबीर सिंह
जिला लोक संपर्क अधिकारी चंबा

एक वर्ष में जिला में 667 कामगारों को दिए गए लगभग 2 करोड़ 91 लाख के वित्तीय लाभ

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं मजदूरों व उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही हैं। इन योजनाओं के तहत बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को 13 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यो के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।

जिला श्रम कल्याण अधिकारी चंबा तथा बोर्ड के उप कार्यालय डलहौजी के माध्यम से इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा पात्र कामगारों को निरंतर योजनाओं के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिला चंबा में कुल 34811 श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें से 33633 श्रमिक जिला श्रम अधिकारी चंबा कार्यालय के अंतर्गत तथा 1178 श्रमिक बोर्ड के उप कार्यालय डलहौजी में पंजीकृत हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2024 तक जिला में 683 नए श्रमिक पंजीकृत हुए हैं तथा इस अवधि में 667 कामगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है जिसमें 2 करोड़ 90 लाख 90 हजार 101 रूपए की राशि खर्च की गई है। इनमें 395 कामगारों को विवाह के लिए 2 करोड़ 1 लाख 45 हजार रुपए, 202 श्रमिकों को शिक्षा हेतु 56 लाख 5 हजार 600 रुपए, 8 कामगारों के मृत्यु एवं अंतिम संस्कार के लिए 19 लाख 60 हजार रुपए, 57 कामगारों को मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा के लिए 12 लाख 16 हजार रूपए, तीन कामगारों को चिकित्सा सहायता के रूप में 131501 तथा दो कामगारों को बच्चों के छात्रवास के

लिए 32000 वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जबकि जिला चंबा में अब तक कुल 22080 कामगारों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए चलाई गई योजनाओं के तहत जिला चंबा में 1464 श्रमिकों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता तथा 1331 श्रमिकों को शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई है। 123 मजदूरों को मातृत्व प्रसुविधा, 31 को पितृत्व प्रसुविधा, 35 को मृत्यु व अंतिम संस्कार के लिए तथा 175 को केरोसिन के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। बोर्ड द्वारा 58 मजदूरों को साइकिल के लिए व 26 को चिकित्सा सहायता के रूप में आर्थिक मदद दी गई है। बोर्ड की जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 09 कामगारों को लाभांबित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2985 श्रमिकों को इंडक्शन हीटर, 219 को साइकलें, 1306 सोलर लैंप, 325 वाशिंग मशीनें भी दी गई हैं। यही नहीं कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा 13993 कामगारों को कोरोना काल के दौरान 2000 के प्रति कामगार नगद आर्थिक मदद भी प्रदान की गई है।

कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता–

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए ऐसे सभी श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं जो कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य जैसे भवनों, मार्गो, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल–पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यो, मुरम्मत या रख–रखाव या इनके निर्माण या गिराये जाने से सम्बन्धित कार्यो में गत 12 माह के दौरान न्यूनतम 90 दिनों तक कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होना भी अनिवार्य है। ऐसे सभी मजदूर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं।

कैसे करवाएं पंजीकरण–

पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसैंस/निर्वाचन मतदाता कार्ड में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड की बैबसाईट https://bocw.hp.nic.in पर भी इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण/नवीनीकरण करवा सकते हैं।

हिमाचल के मंदिरों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए बनेगी राज्यव्यापी नीतिः उपमुख्यमंत्री

- सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण
- आईआईआईटी को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए छोटी अवधि के कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया
- प्रदेश की पहली 'स्मार्ट विधानसभा' बनेगी हरोली

शिमला/शैल। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में कहा

कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मंदिरों में दर्शन, दान और अन्य सेवाओं की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक राज्यव्यापी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ एवं ऐतिहासिक मंदिर हैं। डिजिटल माध्यम से मंदिर दर्शन और डोनेशन की व्यवस्था बनाने समेत प्रदेश के लिए एकरूप डिजिटल व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करें। उन्होंने शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के सदुपयोग पर बल दिया। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और रोजगार सृजन में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर फोकस करने के निर्दश भी दिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के पालकवाह स्थित कौशल विकास केंद्र के सभागार में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सम्मेलन डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन तथा तकनीक को लोगों के करीब लाने और प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार व उनकी पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें नागरिक-केंद्रित डिजिटल एप्लीकेशनों और उभरती तकनीकों को समझने तथा समग्र विकास में उनके उपयोग को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

उपमुख्यमंत्री ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार लाने और इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक सेवाएं जैसे दवाओं की सप्लाई तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है।

उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत में फिलहाल ड्रोन का निर्माण नहीं हो रहा है और अधिकतर ड्रोन चीन से आयात किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ड्रोन विनिर्माण की दिशा में तेजी से काम करना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही युवाओं के लिए ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने आईआईआईटी ऊना को विद्यार्थियों के लिए ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के तीन व छह माह की अवधि के कोर्स चलाने का सुझाव दिया।

उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का आहवान करते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि तकनीक का लाभ आम लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन को सरल बनाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति की सार्थकता तभी है जब यह सार्वजनिक सेवाओं को सुलभ बनाते हुए लोगों के जीवन में सुगमता लाए। उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए लोकमित्र केंद्रों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में लोकमित्र केंद्र अभी स्थापित नहीं किए गए हैं, वहां इन्हें स्थापित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए कैशलेस यात्रा सेवा शुरू की गई है। इसके जरिए यात्री अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग कर किराये का भुगतान कर सकते हैं।

श्री अग्निहोत्री ने ऊना जिला प्रशासन को अधिक से अधिक नवोन्मेषी कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा ताकि विद्यार्थी और युवा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न केवल विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें भविष्य के रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार किया जा सकेगा।

उपमुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर तकनीकी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को आईटी तकनीकों के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए ताकि उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों की ऑफलाइन जानकारी मिल सके जिससे वह अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकें।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में कंप्यूटर युग की शुरूआत राजीव गांधी ने की थी। उस समय विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया था कि संगणक कम्प्यूटर से देश का नुकसान होगा और रोजगार खत्म हो जाएंगे लेकिन समय ने दिखा दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं और देश को प्रगति की नई राह पर आगे बढ़ाया है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले लोगों को रोजगार समाचार के जरिए नौकरियों की जानकारी मिलती थी, लेकिन अब आईटी युग में कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन के जरिए नौकरियों की सूचना तुरंत ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है।

मुकेश अग्निहोत्री कहा कि हरोली विधानसभा प्रदेश की पहली ऐसी विधानसभा बनने जा रही है, जो पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी। अगले 15-20 दिनों में यह सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वार, मुख्य मार्ग, महत्वपूर्ण स्थल, चौराहे, बाजार और शिक्षण संस्थान सीसीटीवी से लैस होंगे। यह पहल क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा तीव्र गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चार डिजिटल रडार भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यो को रेखांकित कर ते हुए कहा कि उनके पहली बार विधायक बनने से लेकर अब तक हरोली में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय, ट्रिपल आईटी, आईटीआई और तीन डिग्री कॉलेजों की स्थापना जैसी उपलब्धियां विकास के मुख्य उदाहरण हैं। इन सभी संस्थानों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी कौशल से सुसज्जित करना है जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रौद्योगिकी का लाभ केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित न रहकर गांवों और हिंदी में कामकाज करने वाले आम नागरिकों तक भी पहुंचे। उन्होंने गावों में डिजिटल साक्षरता कैंप लगाने के लिए विभाग की ओर से समुचित आर्थिक सहयोग समेत हर संभव मदद का भरोसा दिया।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने विभाग द्वारा किए गए नवाचारों और तमाम नई पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-जिला परियोजना के तहत अब लोग 251 सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं जिससे उनकी दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है। जल्द ही इसमें 40 और सेवाएं जोड़ी जाएंगी।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन, आईआईआईटी ऊना के निदेशक प्रो. मनीष गौर, बजाज फाइनेंस के मुख्य सूचना एवं तकनीकी अधिकारी अनुराग जैन, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, उपायुक्त जतिन लाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक अनिल सेमवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे।

बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त राशि का आग्रह

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय

स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर हरोली विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की प्रगति के बारे में चर्चा की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के सम्बंध में अवगत करवाया। उप-मुख्यमंत्री ने ऊना में प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण को गति देने का भी आग्रह किया और प्रदेश सरकार द्वारा हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ऊना जिला में मेडिकल कालेज खोलने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिया स्वच्छ भारत अभियान में भाग, दिया स्वच्छता का संदेश

शिमला/शैल। केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग हर्ष मल्होत्रा ने धर्मशाला में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने सर्वप्रथम धर्मशाला बस स्टैंड के समीप महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके पश्चात लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने बस स्टैंड में पौधारोपण भी किया।

उसके पश्चात केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत टंग नरवाना में पहुंचकर वहां स्वच्छता अभियान में भाग लिया। यहां पहुंचने पर उनका पंचायत प्रतिनिधियों और लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया और अपने आस-पास सफाई रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को स्वच्छता सबसे प्रिय थी, इसलिए अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही उन्होंने यहां भी एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया।

लोक निर्माण मंत्री ने चमियाणा चिकित्सा संस्थान तक सड़क में सुधार के निर्देश दिए

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों और परियोजना निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई की लंबित और जारी परियाजनाओं की जानकारी ली और तय समय सीमा के भीतर परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो सके।

लोक निर्माण मंत्री ने मानसून सीजन में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की भी तुरंत मरम्मत और रख-रखाव करने के निर्देश दिए ताकि निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बहाली कार्य के लिए जरूरत के मुताबिक श्रमशक्ति और मशीनरी को तैनात किया जाए ताकि क्षतिग्रस्त हुई ओसंरचना के कारण सथानीय लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

लोक निर्माण मंत्री ने शिमला में अटल सुपर स्पेशिएलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा के लिए भवाकुफर से सड़क कनेक्टिविटी के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के कार्य को प्राथमिकता के अधार जल्द पूरा करें।

उन्होंने कहा कि अस्पताल के संचालन और लोगों को प्रभावी ढंग से सेवाएं देने के लिए सड़क सुविधा बेहद जरूरी है। यह सुपर स्पेशिएलिटी चिकित्सा संस्थान लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बेहतर सड़क संपर्क होने से मरीजों को लाभ होगा।

विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के टिकाऊपन और सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिले इसके लिए उच्च निर्माण मानकों का अनुपालन किया जाना बहुत जरूरी है।

उन्होंने निर्माण परियोजनाओं के दौरान नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता आकलन का आहवान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करते हैं और क्षेत्र की जलवायु चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

बैठक में सचिव लोक निर्माण अभिषेक जैन, विशेष सचिव लोक निर्माण हरबंस सिंह ब्रसकोन, क्षेत्रीय अधिकारी एनएचएआई शिमला कर्नल अजय सिंह बरगोटी, परियोजना निदेशक एनएचएआई आनंद कुमार और एनएचएआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 'संकल्प' पहल का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित भजन संध्या 'भज गोविंदम' में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नशा निवारण पहल का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने और नशे के आदि लोगों

के पुनर्वास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश सरकार ने नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरूद्ध सख्त कारवाई के निर्देश दिए हैं और पिछले माह कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवाओं को इनके चंगुल से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य नशे की आदत से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को इससे बाहर निकालकर फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के अन्तर्गत कोटला-बड़ोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह केंद्र मादक पदार्थों की आदत से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायक साबित होगा। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के कंडाघाट में नौ हजार दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उत ष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार राज्य की विधवा एवं एकल नारियों के 23 हजार बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है और प्रदेश के वृद्धजनों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को आत्म जागृति की ओर प्रेरित करना और समाज के प्रति उतरदायित्वों का बोध करवाना है। उन्होंने कहा कि संत, गुरू, समाज सुधारकों का समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने और समाज की सुदृढ़ नींव रखने तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्य गुरू आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में संस्थान भारत और विदेशों में समाज सेवा के कार्यो में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नूर महल में संस्थान का दौरा किया है और वहां संचालित हो रहे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को देखा है।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में अनेक नवाचार कदम उठाए गए हैं। जिला सोलन के नालागढ़ में एक मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन हाईड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसके आगामी वर्ष जुलाई तक तैयार होने की संभावना है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अद्वितीय सौन्दर्य और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में सतत् विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र के माध्यम से कालका-शिमला रेल सेवा का संचालन ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से संचालित करने का अनुरोध किया है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

संगठन में कर्मठ कार्यकर्ताओं को दी जायेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। .प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जल्द ही पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो पदाधिकारी संगठन के कार्यो व इसकी बैठकों को समय नही दे पा रहें है उनकी जगह नए कर्मठ पदाधिकारी बनाएं जाएंगे।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि संगठन सर्वोपरि है और इसकी मजबूती के लिए पार्टी के सभी नेताओं पदाधिकारियों को एकजुटता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय आलाकमान से इस बारे विस्तृत चर्चा की गई है और आलाकमान का स्पष्ट मानना है कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय साबित हो रहें है उनकी जगह नए व कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वह जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर जिला के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है इसलिए उन्हें मजबूती प्रदान करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने व भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार व षडयंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने का आहवान करते हुए कहा है कि हमें प्रदेश में आपसी भाईचारे को मजबूत करते हुए देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने वालों से सचेत रहना होगा।

राज्यपाल ने वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वजीर राम सिंह पठानिया की विरासत हमारे स्मृति पटल पर हमेशा बनी रहेगी, जिन्होंने

भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह शुरू कर लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।

वह कांगड़ा जिला के नूरपुर उपमंडल में महान स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा के अनावरण समारोह पर संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि वजीर राम सिंह पठानिया, साहस, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का उदाहरण हैं, जिसके लिए इतिहास उन्हें सदैव याद रखेगा। उन्होंने कहा कि आज हम यहां न केवल इस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करने बल्कि उनकी विरासत को सहेजने के लिए भी एकत्रित हुए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि बहादुर योद्धा वजीर राम सिंह पठानिया ने 1857 की क्रांति से एक दशक पहले पहाड़ी क्षेत्रों में 1848 की क्रांति का नेतृत्व भी किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। शाहपुर की लड़ाई में उनका अपार शौर्य आजादी के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने मुट्ठीभर लोगों के सहयोग से ब्रिटिश सल्तनत को हिला दिया।

राज्यपाल ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने वजीर राम सिंह पठानिया को गिरफ्तार करने के लिए षडयंत्र रचा और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर कालापानी भेज दिया। इसके उपरांत रंगून भेज दिया गया और उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हुये। उन्होंने 11 नवम्बर, 1849 में मात्र 24 साल की उम्र में शहादत पायी। उनका बलिदान देश के स्वतंत्रता संघर्ष की नींव था, जिसे आगे चलकर भारत की आजादी के लिए विद्रोह को ताकत मिली। उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

शुक्ल ने कहा कि उनकी प्रतिमा और शौर्य गाथा क्षेत्रवासियों को देश के विकास और समृद्धि के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक विरेन्द्र सिंह पठानिया ने राज्यपाल का स्वागत किया।

सांसद राजीव भारद्वाज एवं इंदु गोस्वामी, विधायक रणवीर सिंह निक्का, हंस राज एवं जनक राज, वजीर राम सिंह पठानिया स्मारक समिति के अध्यक्ष वीर सिंह, पूर्व मंत्रीगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार ने 8,883 पात्र श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपये वितरित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित किया गया है। प्रदेश सरकार इन पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी कर इनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543, कामगारों को 12.97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता राशि जबकि 1,000 रुपये मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। इन सभी योजनाओं पर प्रदेश सरकार द्वारा 32.32 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड के माध्यम से पहली दो बेटियों के जन्म पर श्रमिकों को 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई पुरूष या महिला जिन्होंने प्रदेश सरकार की किसी परियोजना या पंचायत के निर्माण कार्य, निजी निर्माण कार्य और मनरेगा कार्य में वर्ष में 90 दिन काम किया है, वह बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण के उपरांत पात्र श्रमिक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक प्रदेश में 10,182 नये श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित कर रही है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का अधिकतर लाभ मिल सके। वर्तमान में एचपीबीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा 13 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि दी जा रही है। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा शिविर और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

16 एंव 17 नवम्बर को सद्भावना टी-20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन

शिमला/शैल। हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें 16 एवं 17 नवम्बर, 2024 को शिमला में आयोजित होने वाले 'सद्भावना टी-20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट' के लिए आमंत्रित किया।

यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी के सहयोग से 'नशा छोड़ो, खेल खेलो' विषय के अंतर्गत नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को समर्थन के प्रतीक के रूप में 'नशा छोड़ो, खेल खेलो' संदेश प्रदर्शित करने वाले क्रिकेट बैट पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस नेक उद्देश्य से प्रतियोगिता के आयोजन के लिए ऐसोसिएशन की सराहना की तथा कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कारवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना नशे के विरूद्ध लड़ाई संभव नहीं है, इसलिए समाज के हर एक व्यक्ति को इस दिशा में अपना योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

जब स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पारित है तो इसके लिए कमेटी बनाने का औचित्य क्या है?

राज्य सभा ने 19 फरवरी 2014 को पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 को पारित किया। इस विधेयक के तहत् पथ विक्रेताओं को जीविका संरक्षण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और देश में शहरी पथ विक्रय के विनियमन तथा इनसे जुड़े मामलों के बारे में सुरक्षा प्राप्त होती है।

पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2014 का उद्देश्य शहरी इलाकों के पथ विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना करना एवं पथ विक्रय गतिविधियों को नियमित करना है। साथ ही, इस विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं हेतु ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें वे सुगमता तथा पारदर्शिता के साथ कारोबार कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार से निकाले जाने एवं प्रताड़ित किये जाने का भय न हो।

शिमला/शैल। अवैध प्रवासी, अवैध स्ट्रीट वेंडर्स और अवैध निर्माण सब अलग-अलग है। देश का नागरिक देश में कहीं भी आ जा सकता है। निवास बना सकता है और व्यवसाय कर सकता है। इसके लिए देश का संविधान उसे अनुमति देता है। इसमें सिर्फ इतनी सी शर्त रहती है कि जहां भी वह रहे उसे वहां के स्थानीय नियमों की अनुपालना करनी होती है। नियमों की अनुपालना का नियम स्थायी निवासियों पर भी बराबर लागू होता है। देश का नागरिक देश में कहीं भी रहते हुये अवैध प्रवासी नहीं होता है। अवैध प्रवासी की परिभाषा में वह सब विदेशी नागरिक आते हैं जो बिना पासपोर्ट और वीजा के कहीं पर प्रवास कर रहे हो। स्ट्रीट वेंडर्स भी तब अवैध होता है यदि वह इस आशय के लिए बनाये गये नियमों की अनुपालना न कर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रीट वेंडिंग को मौलिक अधिकार माना है। मुंबई नगर निगम प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है। सड़क विक्रेताओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर संसद में भी विधेयक पारित है। हिमाचल में 2014 में ही स्टेट वेंडिंग एक्ट आ गया था। उसके तहत हर नगर निकाय क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग जोन चिन्हित किये जाने थे। हर निकाय को इस आश्य की एक कमेटी बनानी थी। इसके लिये नियम बनाये जाने थे। 2014 के एक्ट पर 2016, 2021 और 2023 में भी चर्चाएं हुई हैं। मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक भी गया है। लेकिन इस सारी पृष्ठभूमि के होते हुये पिछले दिनों जिस तरह से यह मामला उलझा और उसमें अवैध स्ट्रीट वेंडर्स और अवैध प्रवासियों को एक ही करार देते हुये जन आक्रोश तक मामला पहुंचा दिया गया उसके राजनीतिक मायने एकदम अलग हो जाते हैं। क्योंकि सारे विवाद का अंतिम परिणाम यही निकला है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कमेटी का गठन किया जाये। जिस मस्जिद के अवैध निर्माण पर मामला आक्रोश का केन्द्र बिन्दु बना उस मस्जिद की संचालन कमेटी ने नगर निगम आयुक्त की अदालत में अवैध निर्माणों को स्वयं गिराने की पेशकश कर दी जिसे अदालत ने मान लिया। लेकिन इस विवाद के दौरान प्रदेश भर में जो अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर वक्फ के दावों की सूचिया सामने आयी है उनकी सत्यता की जांच के लिए कोई कमेटी गठित किये जाने की बात सामने नहीं आयी है। स्वभाविक है कि जिन लोगों/संगठनों ने इस तरह की सूचियां जारी की है वह आने वाले समय में इस मुद्दे पर कभी भी नये सिरे से हंगामा खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी हंगामे के दौरान शिमला में चार-पांच हजार अवैध निर्माणों की बात स्वयं मंत्री ने स्वीकारी है। लेकिन उन अवैध निर्माणों के खिलाफ कब क्या कारवाई होगी इस पर कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संसद से लेकर प्रदेश तक एक्ट उपलब्ध हैं तो उस पर सीधे अमल करने की बजाये विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों खड़ी हुई? एक्ट पर अमल करने की दिशा निर्देश तय करने के लिये तो अधिकारियों के स्तर कमेटी गठित की जानी चाहिये थी। वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिये नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों की कमेटी गठित करके समस्या का हल निकाला जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे यह सवाल और आशंका उभरना स्वभाविक है कि अभी सरकार इस मामले को लम्बा खींचने की नीयत से चल रही है विपक्ष भी इस पर चुप है इससे यह और पुख्ता हो जाता है कि यह मामला अभी लम्बा चलेगा।

अटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए दो साल में सड़क नहीं बना पायी सुक्खू सरकार

- **मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के कामों का फीता भी काटते हैं और केंद्र को कोसते भी हैं**
- **केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैंसर सेंटर के निर्माण में दिया है 56 करोड़ का सहयोग**

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर दिन केंद्र सरकार को जी भर कर गाली देते हैं और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का ही फीता भी काटते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के

सहयोग का आभार जताने के लिए दो शब्द भी नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी स्थित टर्शरी कैंसर सेंटर के निर्माण में सारा पैसा केंद्र सरकार का लगा है लेकिन उद्घाटन करने पहुंचें मुख्यमंत्री ने केंद्र के बारे में एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा। आईजीएमसी में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस जिस कैंसर अस्पताल के भवन का लोकार्पण हुआ उसके भवन और उपकरणों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 56 करोड़ रुपए दिए। पूर्व की बीजेपी सरकार के समय से काम चल रहा था। दो सालों जो भी फीता इस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने काटा है वह या तो पूर्व भाजपा सरकार के काम है या फिर केंद्र सरकार के काम है। लेकिन देश भर में घूम-घूम कर मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं कि केंद्र हमें कुछ भी नहीं दे रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भवन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 14 करोड़ 87 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद अस्पताल के लिए अत्याधुनिक मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए दो किश्तों में 12 करोड़ 60 लाख और 28 करोड़ 45 लाख रुपए भी केंद्र सरकार द्वारा दिए। लेकिन इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाना तो दूर की बात सामान्य शिष्टाचार का भी निर्वहन नहीं किया और केंद्र सरकार को कोसने में ही सारी ऊर्जा खर्च की। इसके बाद वह भारत के संघीय ढांचे की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार के बारे में वह कैसी-कैसी बातें करते हैं? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सुक्खू सरकार ने बुरा हाल करके रखा हैं। प्रदेशवासियों के लिए संजीवनी कहीं जाने वाली हिमकेयर को ही निजी अस्पतालों में आधिकारिक रूप से और सरकारी अस्पतालों में अघोषित रूप से बंद कर दिया है। मुझे आज भी लोगों के फ़ोन आते हैं और वह शिकायत करते हैं कि यह कार्ड अब चल ही नहीं रहा है। लोग इलाज को तरस जा रहे हैं। क्या इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री ने की थी?

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र सरकार के सहयोग से ही अलग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना। सरकार ने जल्दबाजी में आईजीएमसी से कई डिपार्टमेंट वहां शिफ्ट कर दिये लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बहुत शर्मनाक है। वहां सड़क और अन्य सुविधाएं न होने की वजह से हाईकोर्ट के आदेश पर उसे बंद करना पड़ा। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ढाई किलोमीटर सड़क नहीं बना पायी जिसकी वजह से अटल सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की सेवाओं को रोकना पड़ा। प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य के मुद्दों पर जो संजीदगी है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा प्रदेश के लोगों को सरकार राहत देने का काम करे।